राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी
(निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा भवन, गोविन्द मार्ग, जयपुर)

क्रमांक–:एफ.–1(79)संस्था / चि.शि.नि. / 2016 / 6918 दिनांक 26/10/2017

कार्यालय आदेश

राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी के अधीनस्थ नवीन महाविद्यालयों के लिए ली जाने वाली विभिन्न पदों की भर्ती हेतु जाति प्रमाण–पत्र की वैधता अवधि हेतु दिशा–निर्देश राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेब–साईट www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि :–

"1. अनुसूचित जाति / जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि OBC के लिये संबंधी प्रमाण–पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा परन्तु क्रिमीलेयर में नही होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ–पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।

2. क्रिमीलेयर में नही होने संबंधी प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार क्रिमीलेयर में नही होने का प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नही है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापन शपथ–पत्र (परिशिष्ट–ड) लेकर पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र को ही मान लिया जावें ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।"

अतः साक्षात्कार हेतु आने वाले अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि जाति प्रमाण–पत्र हेतु उपर्युक्त निर्देशानुसार साक्षात्कार में मय मूल जाति प्रमाण–पत्र के साथ अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

समन्वयक
राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी
जयपुर